महत्वपूर्ण

संख्या-799/31-2014-7/2014

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
3-समाज कल्याण आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
4-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषयः- उ0 प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2014-15 के अनुश्रवण की व्यवस्था।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-791/31-2014-7/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को सूत्रों के रूप में चिन्हित करते हुए "उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2014-15" निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास एजेण्डा में सम्मिलित सूत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त उक्त विकास एजेण्डा में शामिल सूत्रों के अनुश्रवण हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

2. उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत कुल 243 सूत्र सम्मिलित हैं। सभी सूत्रों की अलग पहचान के लिए भिन्न क्रम संख्या आवंटित करते हुए सूत्र संख्या-1 से सूत्र संख्या-243 तक निर्धारित किए गए हैं। ऐसे सूत्र जो गत वर्ष के एजेण्डा में भी सम्मिलित थे और इस वर्ष भी उनको शामिल किया गया है उनकी भी सूत्र संख्या परिवर्तित हो गई है।

3. विकास के एजेण्डा वर्ष 2014-15 में गत वर्ष के एजेण्डा के कतिपय सूत्रों के साथ कुछ नए सूत्र शामिल किए गए हैं, नए सूत्रों के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों द्वारा एक नई पत्रावली प्रारम्भ की जाएगी, जिसके शीर्षक में "उत्तर प्रदेश के विकास का एजेण्डा वर्ष 2014-15", सूत्र संख्या एवं सूत्र का विवरण मोटे अक्षरों में अंकित किया जाएगा। अन्य सूत्रों के सम्बन्ध में पूर्व में बनी पत्रावली पर भी "उत्तर प्रदेश के विकास का एजेण्डा वर्ष 2014-15", नया सूत्र संख्या एवं सूत्र का विवरण मोटे अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

4. उक्त पत्रावलियो में सूत्र से सम्बन्धित बैठक अथवा प्रस्तुतीकरण हेतु एजेण्डा निर्गत करने, मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करने, कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने तथा प्रपत्र निर्धारित करने आदि सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जाएगा।

5. विभाग द्वारा प्रत्येक सूत्र से सम्बन्धित पत्रावली पर प्रत्येक माह मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाएगी। मासिक प्रगति आख्या को देखते हुए इन सूत्रों की समीक्षा हेतु

बैठकें आयोजित किए जाने की आवश्यकता एवं उनकी तिथियां निर्धारित किए जाने की कार्यवाही कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा यथा समय की जाएगी। बैठक अथवा प्रस्तुतीकरण के आयोजन, प्रतिभाग करने वाले पक्षकारों को सूचित करने, बैठक/प्रस्तुतीकरण में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने एवं इस हेतु आवश्यक प्रपत्र निर्धारित करने का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। बैठक/प्रस्तुतीकरण का कार्यवृत्त तैयार करने, अनुपालन आख्या तैयार कराने एवं इस हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करने का दायित्व भी नोडल विभाग का होगा। यदि किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव स्तर पर शासी निकाय, राज्य स्तरीय समिति अथवा कार्य समिति आदि गठित हों, तो उस सूत्र की बैठक/प्रस्तुतीकरण के साथ ही उक्त समितियों की बैठक आयोजित किए जाने पर विचार कर लिया जाए। यदि सूत्र का सम्बन्ध एक से अधिक विभागों से है तो नोडल विभाग द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों से आख्या प्राप्त कर एवं उसे संकलित कर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रगति आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप अथवा प्रपत्र का निर्धारण सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

6- मासिक प्रगति आख्या सारगर्भित होनी चाहिए। प्रगति आख्या को पत्रावली की बाई ओर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाए। टिप्पणी यथा सम्भव पांच पृष्ठ से अधिक की न हो। विस्तृत वितरण अथवा बुकलेट आदि यदि कोई हों, तो उन्हें पत्रावली पर दॉई ओर रखा जाए।

7. सूत्र संख्या-227 "मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं" के सन्दर्भ में मासिक प्रगति आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 को पूर्व की भॉति प्रस्तुत की जाएगी।

8. संलग्न सूची में कुल 243 सूत्रों में से मोटे अक्षरों (बोल्ड) में अंकित 69 सूत्रों पर अनुश्रवण शासन स्तर के अतिरिक्त जनपद एवं मण्डल स्तर पर भी किया जाना है।

9. विभिन्न सूत्रों के सन्दर्भ में मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह मुख्य सचिव के समक्ष पत्रावली पर अवश्य प्रस्तुत की जाए, इसके लिए अनुस्मारक जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक- उत्तर प्रदेश के विकास हेतु
शासन का एजेण्डा वर्ष 2014-15

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या-799(1)/31-2014-7/2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि मोटे अक्षरों में अंकित सूत्रों पर नियमित रूप से समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एस0 पी0 गोयल)
प्रमुख सचिव।

उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2014-15

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
1	प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।	वित्त
भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।		
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।	कृषि
3	राष्ट्रीय बागवानी मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
4	नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
5	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन।	ऊर्जा
6	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 30,000 से अधिक आबादी के 168 शहरों में गो-लाईव के माध्यम से एस0एम0एस0 द्वारा उपभोक्ताओं को बिलिंग की जानकारी एवं विद्युत व्यवधान की विश्वासपरक सूचना प्रदान करना।	ऊर्जा
7	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	उच्च शिक्षा
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।	माध्यमिक शिक्षा
9	सर्व शिक्षा अभियान।	बेसिक शिक्षा
10	मध्यान्ह भोजन योजना।	बेसिक शिक्षा
11	कौशल विकास मिशन।	व्यावसायिक शिक्षा
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

13	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0)।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
15	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।	समाज कल्याण
16	एकीकृत बाल विकास योजना।	महिला एवं बाल विकास
17	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना।	ग्राम्य विकास
19	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।	ग्राम्य विकास
20	इन्दिरा आवास योजना।	ग्राम्य विकास
21	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन।	ग्राम्य विकास
22	मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान।	अल्पसंख्यक कल्याण
23	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (निर्मल भारत अभियान)।	पंचायती राज
24	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि।	पंचायती राज
25	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0)।	सिंचाई
26	(जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. घटकों सहित)।	नगर विकास
27	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण () की योजनाएं।	नगर विकास
28	राजीव आवास योजना।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

कृषि क्षेत्र

29	कृषि नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	कृषि
30	खाद्यान्न उत्पादन में प्रजाति प्रतिस्थापन दर () में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही।	कृषि
31	सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना ।	कृषि
32	कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण के लिए मैकेनाइजेशन मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन।	कृषि
33	कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु मक्का, बाजरा एवं धान में संकर प्रजातियों के बीजों का अधिकाधिक उपयोग।	कृषि
34	आलू नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
35	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का प्रभावी कार्यान्वयन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
36	नेशनल मिशन आंन माइक्रोइरीगेशन का प्रभावी कार्यान्वयन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
37	कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम में संशोधन।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
38	कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना तथा उनका संचालन।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
39	किसान बाजार का विकास।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
40	चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
41	गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास तथा बीज उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया जाना जिससे गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो।	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
42	सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु पी.सी.डी.एफ. का सुदृढ़ीकरण।	दुग्ध विकास
43	लखनऊ में 05 लाख लीटर, कानपुर में 10 लाख लीटर, वाराणसी में 05 लाख लीटर तथा इटावा में 05 लाख लीटर दैनिक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के डेरी प्लाण्टों की स्थापना।	दुग्ध विकास

44	कुक्कुट विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
45	कामधेनु योजना तथा मिनी कामधेनु योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
46	चक गंजरिया फार्म के घटकों को रहमानखेड़ा, लखनऊ व महानगर, लखनऊ तथा निबलेट, बाराबंकी में स्थानान्तरित करना; निबलेट, बाराबंकी में आधुनिक डेयरी की स्थापना।	पशुधन
47	मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	मत्स्य
48	वैद्यनाथन कमेटी द्वारा संस्तुत वित्त पोषण के माध्यम से जिला सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण।	सहकारिता
49	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत साधन समिति स्तर पर भण्डारगृहों का निर्माण।	सहकारिता
उद्योग, अवस्थापना एवं लोक निर्माण क्षेत्र		
50	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
51	लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे का निर्माण।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
52	उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवा गारण्टी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
53	सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता नीति (पी0पी0पी0) का पुनरीक्षण।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
54	औद्योगिक इकाईयों हेतु भूमि आवंटन नीति एवं तत्सम्बन्धी प्रक्रिया का सुसंगतीकरण एवं सरलीकरण।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
55	उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष (यू0पी0आई0डी0एफ0) का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
56	दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
57	अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना (एडीकेआईसी) के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना तथा कॉरीडोर के आस-पास औद्योगिक तथा शहरी गतिविधिओं को विकसित करने हेतु योजना बनाया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

58	जनपद उन्नाव में ट्रान्स-गंगा औद्योगिक क्षेत्र का विकास।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
59	जनपद औरैया में प्लास्टिक सिटी परियोजना का कार्यान्वयन तथा उद्योगों की स्थापना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
60	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध अनआबण्टित औद्योगिक भूखण्डों का प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी द्वारा त्वरित आबण्टन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
61	ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
62	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड से अधिकाधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त करते हुए परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास
63	मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	लघु उद्योग
64	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का प्रभावी कार्यान्वयन।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
65	लखनऊ व आगरा में आई0टी0 सिटी की स्थापना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
66	उ0प्र0 सरकार के समस्त विभागों की वेबसाइटों का नवीनीकरण।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
67	"ब्राण्ड यूपी" का विकास।	पर्यटन
68	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर की स्थापना तथा बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत स्थलों का पर्यटन विकास।	पर्यटन
69	आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही।	पर्यटन
70	आगरा में ताजगंज क्षेत्र के विकास की परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	पर्यटन
71	उ0प्र0 में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा के निकट थीम पार्क का विकास।	पर्यटन
72	विश्व बैंक सहायतित प्रो-पूअर टूरिज्म योजना का कार्यान्वयन।	पर्यटन
73	हैरिटेज टूरिज्म पालिसी का निर्धारण तथा उसका कार्यान्वयन।	पर्यटन
74	प्रदेश में इन्ट्रा स्टेट एअर लाईन का विकास।	पर्यटन

75	उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम की इकाईयों को निजी क्षेत्र में लीज पर दिया जाना।	पर्यटन
76	500 से अधिक आबादी की असंतृप्त बसावटों को शतप्रतिशत सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना।	लोक निर्माण
77	ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण की नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	लोक निर्माण
78	समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जाना।	लोक निर्माण
79	अधूरे सेतुओं को पूर्ण किया जाना।	लोक निर्माण
80	यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु चिन्हित स्थानों पर रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कराया जाना तथा अधूरे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण कराया जाना।	लोक निर्माण
81	राजकीय भवनों के निर्माण में "फिक्स प्राइस कान्ट्रेक्ट" व्यवस्था लागू किया जाना।	लोक निर्माण
82	उपशा द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर निर्मित कराई जा रही सड़कों का अनुश्रवण।	लोक निर्माण
83	मैत्रेय परियोजना, कुशीनगर का प्रभावी कार्यान्वयन।	संस्कृति
84	छतर मंजिल परिसर, लखनऊ का पर्यटन एवं संस्कृतिक संकुल के रूप में विकास।	संस्कृति
85	प्रदेश के प्रमुख शहरों में पी0पी0पी0 माडल पर बस स्टेशनों का विकास।	परिवहन
ऊर्जा क्षेत्र		
86	उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
87	रूफ टॉप सोलर पॉलिसी का प्रभावी कार्यान्वयन।	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
88	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति।	ऊर्जा
89	वर्ष 2016-17 में जनपद मुख्यालय को 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	ऊर्जा
90	ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाना।	ऊर्जा
91	प्रदेश की तहसीलों में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर	ऊर्जा

	उनका उर्जीकरण।	
92	केस-2 बिडिंग के आधार पर प्रस्तावित करछना परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना।	ऊर्जा
93	प्रदेश में राजकीय क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु अनपरा-डी (2×500मे0वा0) की इकाईयों से उत्पादन प्रारम्भ करना।	ऊर्जा
94	हरदुआगंज में (1×660मे0वा0) इकाई की ई0पी0सी0 आधार पर स्थापना।	ऊर्जा
95	मेजा एवं घाटमपुर में संयुक्त उपक्रम द्वारा बनायी जा रही तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में गति लाना।	ऊर्जा
96	केस-2 बिडिंग के आधार पर निर्माणाधीन बारा परियोजना की दो इकाईयों से उत्पादन प्रारम्भ करना।	ऊर्जा
97	ललितपुर-आगरा पारेषण परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	ऊर्जा
98	पी0पी0पी0 आधार पर चलायी जा रही इलाहाबाद-मैनपुरी एवं मैनपुरी-ग्रेटर नौएडा पारेषण परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना।	ऊर्जा
99	प्रदेश के विद्युत गृहों के पी0एल0एफ0 को बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाकर उसका समयबद्ध कार्यान्वयन कराया जाना।	ऊर्जा
100	विद्युत वितरण के चिन्हित शहरी क्षेत्रों में निजी सहभागिता से समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों) को कम किया जाना।	ऊर्जा शिक्षा क्षेत्र
101	उच्च शिक्षण संस्थाओं की एन.ए.ए.सी से मूल्यांकन करा कर उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाना।	उच्च शिक्षा
103	राजकीय महाविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त शैक्षिक पदों की भर्ती का विशेष रूप से अनुश्रवण किया जाना।	उच्च शिक्षा
104	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूनतम सफल नामांकन दर वाले 26 महाविद्यालयों तथा राज्य सेक्टर से स्वीकृत 02 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जाना एवं आवश्यक पदों का सृजन।	उच्च शिक्षा
105	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।	उच्च शिक्षा
106	कन्या विद्या धन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	माध्यमिक शिक्षा
107	राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना।	माध्यमिक शिक्षा

108	अध्यापकों के वेतन, पेंशन, जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
109	अक्षय-पात्र योजना का चिन्हित जनपदों में कार्यान्वयन।	बेसिक शिक्षा
110	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार।	व्यावसायिक शिक्षा
111	अनुदेशक नियमावली में संशोधन करते हुए अनुदेशकों के रिक्त पदों को भरा जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
112	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद को क्रियाशील किया जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
113	प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र को क्रियाशील किया जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
114	लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।	प्राविधिक शिक्षा
115	कन्नौज, सोनभद्र, मैनपुरी एवं बदायूं में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेजों का निर्माण पूर्ण कराया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
116	उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए उन्हें और रोजगारपरक बनाया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
117	निर्माणाधीन 35 पालीटेक्निकों को अपने भवन में शिफ्ट कराकर संचालित कराया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
118	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए ई-कार्य व्यवस्था।	प्राविधिक शिक्षा
119	कालेजों की सम्बद्धता की प्रक्रिया को जनोपयोगी एवं सरल बनाते हुए इसकी ऑन-लाइन व्यवस्था।	प्राविधिक शिक्षा
120	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की समस्त संस्थाओं में एकेडमिक मानीटरिंग हेतु एकीकृत ई-व्यवस्था।	प्राविधिक शिक्षा
121	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के तथा आई0आर0डी0टी0 कानपुर द्वारा डिप्लोमा स्तर की 06 विधाओं में समस्त पाठ्यक्रम के लिए ई-लैक्चर संकलित एवं विकसित कर उन्हें संस्थाओं के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
122	पुरानी पालीटेक्निक संस्थाओं का छात्र निधि शुल्क के माध्यम से विकास।	प्राविधिक शिक्षा
123	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों का तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु उपयोग सुनिश्चित किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
124	पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित नए पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक एवं अन्य तकनीकी पदों का सृजन।	प्राविधिक शिक्षा

125	बांदा, बिजनौर एवं अकबरपुर में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेजों को समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके अपने भवनों में संचालित किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
126	ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना।	प्राविधिक शिक्षा
127	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना।	कृषि शिक्षा
128	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना।	कृषि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र
129	विगत वर्षों के निर्माणाधीन अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
130	नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
131	नए जनपदों में जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
132	50 महिला जिला चिकित्सालयों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त 100 बेड मैटरनिटी भवनों का निर्माण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
133	चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 बैड के आधुनिक मैटरनिटी भवनों का निर्माण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
134	लखनऊ तथा 05 अन्य चिन्हित जनपदों में 200 बैड के मातृ शिशु चिकित्सालयों का निर्माण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
135	प्रदेश में इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा सर्विसेज में 108 एम्बुलेन्स के साथ 102 एम्बुलेन्स द्वारा जनता को आकस्मिक चिकित्सा तथा परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना व सेवा मानक तय किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
136	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति तैयार कर कार्यान्वयन।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
137	ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं उसे क्रियाशील किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
138	ट्रामा सेन्टरों के भवनों का निर्माण कर उन्हें क्रियाशील किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

139	राज्य कैंसर संस्थान, कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद का निर्माण कर उसे क्रियाशील करना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
140	संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में टर्शरी कैंसर सेन्टर (तृतीय) का निर्माण कर उन्हें क्रियाशील करना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
141	कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना।	चिकित्सा शिक्षा
142	चार राजकीय मेडिकल कॉलेजों यथा इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ एवं झांसी का उच्चीकरण किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
	143 ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सुपर-स्पेशियलटी अस्पताल का संचालन प्रारम्भ कराया जाना। चिकित्सा शिक्षा	
144	नोएडा में बच्चों के सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना।	चिकित्सा शिक्षा
145	एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में नए ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना।	चिकित्सा शिक्षा
146	के.जी.एम.यू. में निर्मित शताब्दी चिकित्सालय को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में क्रियाशील किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
147	चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
148	क्वीन मेरी चिकित्सालय, लखनऊ एवं एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में 100-100 बेड के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मैटरनिटी विंग्स का निर्माण कर संचालित किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र		
149	समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किया जाना।	समाज कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण /अल्पसंख्यक कल्याण
150	समस्त प्रकार की सामाजिक सहायता पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किया जाना।	समाज कल्याण /विकलांग कल्याण/ महिला कल्याण
151	समाजवादी पेंशन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	समाज कल्याण
152	उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2013 का प्रख्यापन एवं कार्यान्वयन। समाज कल्याण	

153	प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से लक्ष्यों के मात्राकरण की व्यवस्था का प्रभावी कार्यान्वयन।	अल्पसंख्यक कल्याण
154	कक्षा-10 पास अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित "हमारी बेटी उसका कल" योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	अल्पसंख्यक कल्याण
155	अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहार दीवारी निर्माण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	अल्पसंख्यक कल्याण
156	अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना।	अल्पसंख्यक कल्याण
157	राज्य पोषण मिशन के माध्यम से महिलाओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।	महिला एवं बाल विकास /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
158	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण।	खाद्य एवं रसद
159	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन।	खाद्य एवं रसद
160	गेहूँ व धान की समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का कार्यान्वयन।	खाद्य एवं रसद
161	राज्य खाद्यान्न भण्डारण नीति का निर्धारण कर भण्डारण क्षमता का विकास किया जाना।	खाद्य एवं रसद ग्राम विकास क्षेत्र
162	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।	समग्र ग्राम विकास
163	लोहिया ग्रामीण आवास योजना।	ग्राम्य विकास
165	सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना-2011 () को पूर्ण कराया जाना।	ग्राम्य विकास
166	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान।	पंचायती राज
167	लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों की आन्तरिक गलियों में सी0सी0रोड, के0सी0 डेन तथा शौचालयों का निर्माण।	पंचायती राज
168	जनेश्वर मिश्र ग्राम्य योजना।	कृषि विपणन सिंचाई क्षेत्र
169	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। 170 नहरों की गुणवत्तापरक सिल्ट सफाई तथा सफाई कार्यों का सोशल ऑडिट।	सिंचाई
171	प्रदेश के भू-जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र	लघु सिंचाई/ भूगर्भ

	नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	जल
172	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) योजना के अन्तर्गत समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम (काडम) का प्रभावी कार्यान्वयन।	भूमि विकास एवं जल संसाधन
173	समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) का प्रभावी कार्यान्वयन।	भूमि विकास एवं जल संसाधन
नगरीय सुविधाएं क्षेत्र		
174	राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
175	विभिन्न विकास क्षेत्रों में विकास शुल्क, नगरीय विकास शुल्क तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए नियमावलियों का गठन।	आवास एवं शहरी नियोजन
176	निजी पूंजी निवेश के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्गों को आवासों की आपूर्ति बढ़ाने हेतु पुनरीक्षित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति का कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
177	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पी.पी.पी. के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना।	आवास एवं शहरी नियोजन
178	गाजियाबाद में नार्दन पेरीफेरल रोड का निर्माण।	आवास एवं शहरी नियोजन
179	लखनऊ में मेट्रो रेल की स्थापना।	आवास एवं शहरी नियोजन
180	लखनऊ में जय प्रकाश नारायण इण्टरनेशनल कन्वैन्शन सेन्टर की स्थापना।	आवास एवं शहरी नियोजन
181	विकास योजनाओं को गति देने हेतु चकगंजरिया फार्म की भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन /पशुधन
182	लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण।	आवास एवं शहरी नियोजन
183	लखनऊ में गोमती नदी का तटीय विकास।	आवास एवं शहरी नियोजन
184	नजूल भूमि के निस्तारण हेतु नई नजूल नीति का कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी

		नियोजन
185	इनर रिंग रोड, आगरा का निर्माण।	आवास एवं शहरी नियोजन
186	नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगर विकास
187	नगरीय पेयजल योजनाओं की समीक्षा की जाएगी तथा उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना।	नगर विकास
188	नगरीय परिवहन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगर विकास
189	नेशनल अरबन इन्फामेशन सिस्टम (एन.आई.यू.एस.) के अन्तर्गत भवनों की मैपिंग एवं कराच्छादन हेतु प्रभावी कार्यवाही।	नगर विकास
190	नागर निकायों में गृह कर/जल कर के अधिरोपण एवं वसूली की समीक्षा।	नगर विकास
191	डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (डी.यू.टी.एफ.) की स्थापना व उसका उपयोग।	नगर विकास
192	शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
193	रिक्शा चालकांे के हित के लिए बैटरी पावर्ड मोटराइज्ड रिक्शा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन श्रम क्षेत्र
194	सेस के लक्ष्य को क्षमता के अनुरूप बढ़ाकर संग्रहीत किया जाना तथा उपयुक्त योजनाएं बनाकर श्रमिकों के कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाना।	श्रम
195	उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	श्रम
196	श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण/लाइसेन्सिंग की प्रक्रिया को जनहित में त्वरित गति प्रदान किए जाने हेतु आ आनलाइन किया जाना।	श्रम पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन
197	कम्प्यूटर द्वारा स्कैनिंग के माध्यम से दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में नियमावली, 2002 को अवक्रमित करते हुए नई नियमावली बना कर उसका प्रभावी कार्यान्वयन तथा वर्ष 2002 से लम्बित अभिलेखों की स्कैनिंग।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन)
198	निबन्धन प्रक्रिया का समग्र कम्प्यूटरीकरण।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन)

199	उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 को पूरे प्रदेश में लागू किया जाना।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजि0)
200	सचिवालय में व्यवहृत की जाने वाली पत्रावलियों पर बार-कोडिंग करते हुए फाइल-टैकिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन।	सचिवालय प्रशासन
201	नॉन रेजीडेण्ट इण्डियन्स (एन0आर0आई0) विभाग की स्थापना।	सचिवालय प्रशासन
202	शासनादेशों को आंनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था का अनुश्रवण।	सचिवालय प्रशासन
203	जनहित गारण्टी अधिनियम में अधिकाधिक जनसेवाओं को आच्छादित करते हुए जनसेवाओं में समयशीलता का पालन कराया जाना।	लोक सेवा प्रबन्धन
204	लखनऊ में राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी की स्थापना।	कार्मिक एवं नियुक्ति
205	जनोपयोगी विभागों में रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरा जाना।	कार्मिक एवं नियुक्ति
206	एन0आई0सी0 द्वारा विकसित ई-आफिस व्यवस्था का लागू किया जाना।	कार्मिक एवं नियुक्ति
207	राजस्व संहिता-2006 की नियमावली बनाया जाना।	राजस्व
208	राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण।	राजस्व
209	भू-मानचित्र (शजरा) का डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटराइजेशन।	राजस्व
210	राजस्व वादों के मानकों का पुननिर्धारण एवं राजस्व वादों का मानक के अनुसार निस्तारण।	राजस्व
211	कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	राजस्व
212	आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	राजस्व
213	नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में सभी विभागों के पदों का सृजन एवं तैनाती तथा अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	राजस्व
214	जनोपयोगी अवस्थापनाएं विकसित करने हेतु शासकीय विभागों एवं संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि के आदर्श उपयोग हेतु नीति का निर्धारण व उसका कार्यान्वयन।	राजस्व
215	ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि के सेटेलमेन्ट की नीति का निर्धारण	राजस्व
216	6 जिलों में अत्याधुनिक पुलिस कण्ट्रोल रूम की स्थापना।	गृह
217	पुलिस में रिक्त पड़े कान्सटेबिल एवं उपनिरीक्षकों के पदों पर भर्ती।	गृह
218	पुलिस कान्सटेबिल, उपनिरीक्षक/निरीक्षक तथा क्षेत्राधिकारियों की नियमित ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण नीति बनाया जाना।	गृह

219	प्रदेश के सभी थानों में इन्टरनेट की सुविधा प्रदान किया जाना।	गृह
220	जन सुविधा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से 26 शासकीय सेवाएं प्रदान किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
221	आई0टी0 उपवन (आई0टी0 इक्यूबेशन सेन्टर) की श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के साहिबाबाद परिसर में स्थापना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
222	ई-सेतु (ग्रामीण आई0टी0 इक्यूबेशन सेन्टर) की विभिन्न जनपदों में यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन के ट्रेनिंग सेन्टरों में स्थापना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
223	भण्डार क्रय प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण।	लघु उद्योग
224	निर्यातकों को ऑन लाइन पद्धति द्वारा अनुदान का वितरण।	लघु उद्योग
225	वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना।	वित्त
226	बजट में स्वीकृत धनराशि को शीघ्र जारी करने की व्यवस्था किया जाना।	वित्त
अन्य कार्यक्रम		
227	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं।	समस्त विभाग
228	बॉर्डर एरिया डेवलपमैण्ट प्रोग्राम का प्रभावी कार्यान्वयन।	नियोजन
229	बुन्देलखण्ड पैकेज का प्रभावी कार्यान्वयन।	नियोजन
230	इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान का प्रभावी कार्यान्वयन।	नियोजन
231	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन0पी0आर0)से सम्बन्धित कार्य का प्रभावी अनुश्रवण।	नियोजन
232	विकास कार्यों के सत्यापन, मूल्याँकन तथा प्रभाव मूल्याँकन सतत् रूप से किया जाना।	नियोजन
233	विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत की जाने वाली रिपोटर्स एवं अभिलेखों को सूचीबद्ध कर उन्हें समय से निर्गत कराया जाना तथा उसका अनुश्रवण।	नियोजन
234	प्रदेश के विकास हेतु बाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर उनका प्रभावी कार्यान्वयन।	वाह्य सहायतित परियोजना
235	प्रदेश में लगभग 3000 नई बैंक शाखाएं खोले जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण।	संस्थागत वित्त
236	व्यक्तिगत बुनकरों को क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जाना।	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
237	बड़े शहरों में रेडियो टैक्सी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	परिवहन

238	परिवहन निगम में बेहतर यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्टेलीजेन्ट ट्रांन्सपोर्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम का कार्यान्वयन।	परिवहन
239	इटावा में लायन सफारी विकास।	वन
240	लखनऊ व कानपुर के प्राणिउद्यानों का आधुनिकीकरण।	वन
241	प्रत्येक जनपद में 50 एकड़ अथवा उससे ऊपर की भूमि चिन्हित कर उस पर वृक्षारोपण।	वन
242	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना व उसकी समीक्षा।	वन/राजस्व
243	विभिन्न विभागों की 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति प्राप्त अवस्थापनाओं को पूर्ण किया जाना तथा इन सभी तथा पूर्व निर्मित भौतिक अवस्थापनाओं को जनोपयोगी बनाया जाना।	नियोजन

.....